मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1, तिलक मार्ग लखनऊ-226001

संख्या-डीजी-परिपत्र संख्या-27/2016 दिनाँक लखनऊ:मई 12 ,2016

सेवा में,

समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, इकाई, उ0प्र0।
समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0।

विषय:-मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम के मामलों को पुलिस मुख्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

श्री कमल सक्सेना, सचिव, गृह(पुलिस)अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या:-रिट-705/6-पु-2-2016 दिनांक 05.05.2016 द्वारा अवगत कराया है कि मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम से सम्बन्धित प्रस्ताव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक पीएसी वाहिंनी एवं पुलिस विभाग के अन्य जनपद स्तरीय कार्यालय से सीधे शासन को प्राप्त होते है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित कार्यालय द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता का अभिमत प्राप्त किये बिना ही मा0 उच्च न्यायालय में अपील योजित किये जाने के प्रस्ताव प्रेषित कर दिये जाते है। अपील में आदेश प्राप्त न हो पाने पर जहां एक ओर ब्याज की धनराशि में निरन्तर वृद्धि होती रहती है, वहीं दूसरी ओर वादी द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु इजराय वाद योजित कर दिये जाते हैं, जिसके कारण शासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2- शासन द्वारा मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम के प्रस्ताव यथावश्यक मुख्य स्थायी अधिवक्ता के अभिमत सहित एवं आवश्यक सूचनाओं/विवरण/अद्यतन आगणन चार्ट के साथ उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय की संस्तुति सहित शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं।

3- अत: आप अपने अधिनस्थ समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक पीएसी वाहिंनी एवं पुलिस विभाग के अन्य जनपद स्तरीय कार्यालयों को निर्देशित करें कि मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम से सम्बन्धित प्रस्ताव शासन की अपेक्षानुसार मुख्य स्थायी अधिवक्ता का अभिमत प्राप्त कर उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को प्रेषित किये जायें।

प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

12.5

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-श्री कमल सक्सेना, सचिव, गृह(पुलिस)अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पत्र संख्या:-रिट-705/6-पु-2-2016 दिनांक 05.05.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।